# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 162/2018 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

नाहर सिंह पुत्र श्री मेघश्याम आयु 56 साल जाति जाट निवसी ग्राम तमरौली तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.2018 न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर प्रकरण संख्या 53/15 उनवानी नाहर सिंह बनाम सरकार।

उपस्थितिः–

1. श्री विजय सिंह कुन्तल वकील अपीलांट।
2. राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक–23.03.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलाण्ट ने एक दावा विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0, इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 253 रकवा 47 एयर, 254 रकबा 19 एयर किता 02 रकबा 66 एयर वाके ग्राम मौरोली खुर्द तहसील भरतपुर में स्थित है, जिसका वादी/अपीलाण्ट पूर्ण मालिक व काविज काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज है। उक्त विवादित आराजी पर वादी/अपीलाण्ट को कानूनन पूर्ण खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं परन्तु उसको राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज कर रखा है। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन निर्णय से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद भी राजकीय अभिभाषक उपस्थित नहीं। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये तर्क दिये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है। विवादित आराजी अपीलाण्ट की पुश्तैनी आराजी है। जिस पर अपीलाण्ट एवं अपीलाण्ट के पूर्वज संवत 2012 के पूर्व से गैर मौरूसीदार दर्ज थे तथा कानून के मुताबिक उन्हें सवंत 2012 में ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये परन्तु राजस्व अभिलेख में गलत रूप से खातेदार नहीं किया गया। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में संवत 2012 व वक्त लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 2016 लागू हाने जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम का पूर्ण रिकार्ड पेश किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिकार्ड पर गौर ना करते हुये अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। पेशकर्दा दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं जिनकी सत्यता पर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता एवं वह साक्ष्य में ग्राह्य हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी ओर कोई गौर नहीं किया। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में यह अंकन किया है कि वादी स्वयं को मेघश्याम का पुत्र होना बताता है वादी ने दावा के साथ ना तो मेघश्याम का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है और ना ही इस प्रकार का कोई सजरा प्रस्तुत किया है कि खातेदार मेघश्याम के अलावा वादी के और कितने वारिस हैं के संदर्भ में निवेदन है कि वादी ने स्वयं का शपथ पत्र दावा के साथ पेश किया है। जिसमें वाद पत्र को सही होना सत्यापित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर ना करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1987 पेज 202, 2001 पेज 411 का हवाला देते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट ने अपने वाद पत्र में उल्लेखित किया है कि वादी अपने पिता के साथ विवादित आराजीयात पर संवत 2012 से पूर्व, से ही काश्त करता चला आ रहा है एवं राजस्व रिकार्ड में भी गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादी/अपीलाण्ट ने अपने वाद पत्र में कही भी अपने पिता की मृत्यु का उल्लेख नहीं किया है ना ही यह उल्लेख किया है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद भी वह उक्त विवादित आराजी पर काविज काश्त चला आ रहा है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी संवत 2069–72 में विवादित आराजी पर मेघश्याम पुत्र रामशरण का नाम गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादी/अपीलाण्ट ने मेघश्याम की मृत्यु का कोई उल्लेख ना तो अधीनस्थ न्यायालय में और ना ही इस न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने पीडब्ल्यू 01 के रूप में शपथ पत्र पेश किया जिसमें उल्लेख किया कि राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम गैर खातेदार दर्ज है एवं अन्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 02 राजेन्द्र सिंह का पेश किया जिसमें उल्लेख किया कि रिकार्ड में उक्त आराजी पर नाहर सिंह का नाम गैर खातेदार दर्ज है। यही उल्लेख शपथ पत्र पीडब्ल्यू 03 डोरीलाल में भी किया गया है कि रिकार्ड में उक्त विवादित आराजीयात पर नाहर सिंह का नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय व अपील न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिस पर अपीलाण्ट नाहर सिंह का नाम विवादित आराजी पर बतौर गैर खातेदार दर्ज हो। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने वाद पत्र, शपथ पत्र में वादी/अपीलाण्ट ने कही भी यह उल्लेखित नहीं किया कि मेघश्याम जिनका नाम विवादित आराजी पर गैर मौरूसी व गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। वह वादी/अपीलाण्ट के पिता हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर विवादित आराजी अभी भी मेघश्याम वल्द रामशरण साकिन तमरौली गैर मौरूसी/गैर खातेदार दर्ज हैं। वादी/अपीलाण्ट के नाम के इन्द्राज का कोई भी रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है। तदानुसार न्यायालय के मत में अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाना न्यायोचित है।

**अखिलेश कुमार पिपल**
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

5. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.11.2019 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार मिश्रा)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
[illegible]